

7-5-18 पत्रावली पेश हुई। राजस्व लोक अदालत के मुद्दे में
 रखने हेतु केम्प दिनांक 15-5-18
 में पत्रकार की उपस्थिति हेतु
 हेतु नोटिस जारी है। पत्रावली
 दिनांक 15-5-18 की केम्प स्थल
 पर पेश है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

15-5-18

पत्रावली न्याय आपूर्ति दार शिबिर
 क्षेत्र पर पेश हुई। पत्रावली में
 वादी उपस्थित परिवार अल्पस्थिति
 है। पत्रावली आगामी शिबिर स्थल
 आगामी पर दिनांक 18-5-18 को पेश है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

18-5-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिबिर
 आगामी पर प्रस्तुत हुई। पत्रावली में
 वादी द्वारा स्वेच्छा से वाद विद्वान्
 कर्मों का उत्तरना पर पेश किया
 गया, वादी द्वारा कहा गया कि
 हम वादी एवं प्रतिवादी में आपसी
 समझौता ही गया है तथा वादी कोई
 वाद में कोई कार्यवाही नहीं
 चाहता है। वाद विद्वान् करना चाहता
 है। वादी का वाद विद्वान् उत्तरना
 स्वीकार किया जाता है। वाद निर्णय
 स्थल न्यायालय में सुनाया गया, पत्रावली
 केवल सुमाद लोक अदालत से कल है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)